

14-5-98 पञ्जाब राज्य का मुख्य (पत्र) 33 / 52
म. व. 10/1/25) के अधीन आता है यह 500 का
ए/न. 21/1/25) के अधीन आता है यह 500 का

बनाम

10/10/2020

या	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अपने अनामकृत (याद) निम्नलिखित स्थानों पर उत्तर नहीं होकर कानूनी को अनामकृत इस प्रकार कि वह यहाँ योग्य नहीं करता चाहे कि वह इस निदेश के माध्यम से किया गया है कि किन मध्यम स्तर के किसी प्रकार के निर्माण नहीं हो (कानून) प्रत्येक शुद्ध होकर (नम) रूप को ही (उद्देश्य) मजदूरी का कार्य सुनाया गया है</p>	<p>दीर्घा मा म अरिज पति कक लेख</p>

को.
 सखण्ड अधिकारी
 सामरलेख